



सं० ए-35018/3/2009-प्रशा.1

तार- इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष नं० 23715507, फैक्स नं० 23717519

दिनांक 24 सितंबर, 2010.

प्रति-

- (1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- (2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
- (3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
- (4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
- (5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
- (6) सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति/ सारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
- (7) अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
- (8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषय: प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (थर्मल) और सदस्य (विद्युत प्रणाली) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में रिक्त पड़े निम्नलिखित पदों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है:

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान (₹०)
1.	सदस्य (थर्मल)	22400-525-24500 (संशोधन पूर्व)
2.	सदस्य (विद्युत प्रणाली)	67000-79000 (संशोधित) अपर सचिव, भारत सरकार के पदेन की हैसियत से ।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्यों के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

3. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (5), में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक अथवा औद्योगिक मामलों की समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो तथा वे इसमें सक्षम हों और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात्-

- (क) उत्पादक केंद्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुस्क्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग।
- (ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान।
- (घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त।

4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर रु0 18400-500-22400 (संशोधन पूर्व) या उच्च पद/वेतनमान में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद।

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त खंड (क) में वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है।

5. सदस्य (थर्मल) और सदस्य (विद्युत प्रणाली), सीईए के पद से जुड़े सभी कार्य एवं उत्तरदायित्व अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

6. सदस्य केंद्र सरकार की इच्छित समयावधि तक पद पर रहेंगे। इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीमित होगी। चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा 58 वर्ष होगी। पदों हेतु आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

7. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-11) (चार प्रतियों में) (यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हों, तो प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि ये रिक्ति के एम्प्लायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाएं-

- (i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां ।
- (ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे के पद का न हो) ।
- (iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा ।

8. जिन्होंने दिनांक 17.11.2009 के हमारे पिछले परिपत्र तथा 5-11 दिसंबर, 2009 के एम्प्लायमेंट न्यूज़ के विज्ञापन के उत्तर में पहले ही आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

9. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

संलग्न: यथोपरि ।

भवदीय,  
**मधुकर**  
(मधुकर सूद)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 23766236.

सदस्यों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

सदस्य (थर्मल)

देश में समग्र ताप विद्युत विकास; ताप विद्युत प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, विकास एवं मूल्यांकन; ताप विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, गुणवत्ता आश्वासन मानक एवं आयोजना, मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी, ताप विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण तथा राख का उपयोग, ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं स्थिरीकरण की मॉनीटरिंग और इसमें शामिल समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव; नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि ।

सदस्य (विद्युत प्रणाली)

राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं के साथ संगत पारेषण सुविधाओं की आयोजना एवं विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग, पारेषण एवं वितरण हानि में कमी, पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु अध्ययन, पारेषण प्रौद्योगिकी विकास; डिजाइन एवं अभियांत्रिकी; मॉडल दस्तावेज का मानकीकरण एवं तैयारी; पारेषण योजनाओं का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; पारेषण परियोजनाओं की निर्माण संबंधी निगरानी; संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के विभागों में विद्यमान विद्युतीय संस्थापनाओं का निरीक्षण; विद्युतीय संस्थापनाओं में दुर्घटनाओं की जांच और उनको न्यूनतम करने तथा उनकी रोकथाम हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव आदि ।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य ( ) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-1

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित		
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनजर क्या आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं।		
7. कालानुक्रम में रोजगार के ब्यौरे। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्व:प्रमाणित कागज संलग्न करें।		
कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से तक
		वेतनमान एवं मूल वेतन
		कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)

<p>8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।</p>	
<p>9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं-</p> <p>क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:  ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि  ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं</p>	
<p>10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे</p> <p>कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)</p> <p>क) केंद्र सरकार  ख) राज्य सरकार  ग) स्वायत्तशासी संगठन  घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान  च) अन्य</p>	
<p>11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं</p>	
<p>12. अब प्रतिमाह आहरित की जारी कुल परिलब्धियां</p>	
<p>13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें ।</p> <p>(अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं )  (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)</p>	

14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन(III)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं।)

(नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज़ संलग्न करें)

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद के चयन के समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर  
पता:  
दूरभाष/मोबाइल नं०  
फैक्स नं०

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-॥

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं०.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि-

- (क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं है;
- (ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो उसका ब्यौरा दें);
- (ग) आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(आवेदन-पत्र का भाग-॥ सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)